राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2174/2025

ज्योति लवानिया —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा), जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढ़ाणा बढ़ाना, ब्लॉक खेतड़ी जिला झुंझुंनू।
4. कलमा कुमारी नर्सिंग अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढ़ाणा बढ़ाना जिला झुंझुंनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 03.03.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढ़ाणा बढ़ाना, ब्लॉक खेतड़ी, जिला झुंझुंनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 450 कि.मी. दूर केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के विरूद्ध है। उनका आगे कथन है राजस्थान पंचायती राज (स्थानान्तरण गतिविधि) नियय—2011 के नियम— 8(3) का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3775/2025 दायर की। जिसे अपीलार्थी ने वापस ले लिया तथा माननीय अधिकरण में स्थानान्तरण का प्रकरण होने के कारण अपील दायर की गई है। अपीलार्थी का पति बी.एस.एफ. में पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। उनका आगे कथन है कि परिवार की देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में

अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढ़ाणा बढ़ाना जिला झुंझुंनू में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढ़ाणा बढ़ाना जिला झुंझुंनू में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में प्रशासनिक कारणों एवं लोकहित में सक्षम स्तर से किया जाकर नियमानुसार अपीलार्थी को दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2023 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के पति के सेवा संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य